

कल बनाएं अपना शिक्षित बनें, सम्य बनें

रैगिंग कर अपना कल न खराब करें यह दण्डनीय अपराध है

रैगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें

- शैक्षणिक संस्था के प्रमुख को
- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
- ई-मेल helpline@antiragging.in
- हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5522
- पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल -462011
- फोन नं. - 0755-2572034, फैक्स - 0755-2574028
- ई-मेल - mphumanright@yahoo.co.in

स्कूल/महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये हैं, दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार न

इन्हें मत करिये -

- दबाव डालकर पैसों की मांग।
- दबावपूर्वक पैसा खर्च करने को बाध्य करना।
- यौन उत्पीड़न करना या ऐसा कोई कृत्य करना जो जूनियर छात्रों पर शारीरिक या मानसिक रूप से दुष्प्रभाव डालता हो।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश -

- रैगिंग की घटना पर संस्था प्रमुख पुलिस में एफ.आई.आर. करार्येगे।
- रैगिंग के हर मामले में प्राथमिकता से सुनवाई
- रैगिंग में लिप्त के शिक्षा सं प्रवेश निर जायेंगे।



रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार है



मध्यप्रदेश मानव अधिकार आ

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028

वेबसाइट : www.mphrc.nic.in, ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.in

किस्सी के अपमान में कैसी खुशी आप सभ्य हैं न!

तो न कहें रैगिंग को - यह दण्डनीय अपराध है।

• रैगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें •

- शैक्षणिक संस्था के प्रमुख को
- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
- ई-मेल helpline@antiragging.in
- हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5522
- पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल -462011
- फोन नं. - 0755-2572034, फैक्स - 0755-2574028
- ई-मेल - mphumanright@yahoo.co.in

जुहें मत करिये -

दबाव डालकर पैसों की मांग।
दबावपूर्वक पैसा खर्च करने को बाध्य
करना।

यौन उत्पीड़न करना या ऐसा कोई
कृत्य करना जो जूनियर छात्रों
पर शारीरिक या मानसिक
रूप से दुष्प्रभाव
गलता हो।

ध्यान रखें -

- रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर आपको जेल
हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- रैगिंग की घटना पर संस्था प्र
तत्काल पुलिस में एफ.आई.ओ
करायेंगे।
- रैगिंग के हर मामले में न्याय
प्राथमिकता से सुनवाई क
• रैगिंग में लिप्त विद्या
के शिक्षा संस्थाओं
प्रवेश निरस्त
जायेंगे।



रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार



मध्यप्रदेश मानव अधिकार आ

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028

वेबसाइट : www.mphrc.nic.in, ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.in

किस्सी के अपमान में कैसी खुशी आप सभ्य हैं न!

तो न कहें रैगिंग को - यह दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें

- शैक्षणिक संस्था के प्रमुख को
- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
- ई-मेल helpline@antiragging.in
- हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5522
- पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल -462011
फोन नं. - 0755-2572034, फैक्स - 0755-2574028
ई-मेल - mphumanright@yahoo.co.in

जुँ मत करिये -

दबाव डालकर पैसों की मांग।
दबावपूर्वक पैसा खर्च करने को बाध्य करना।

यौन उत्पीड़न करना या ऐसा कोई कृत्य करना जो जूनियर छात्रों पर शारीरिक या मानसिक रूप से दुष्प्रभाव डालता हो।

ध्यान रखें -

- रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर आपको जेल हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- रैगिंग की घटना पर संस्था प्रवक्ता तत्काल पुलिस में एफ.आई.ओ. करार्येंगे।
- रैगिंग के हर मामले में न्यायालय प्राथमिकता से सुनवाई करेगा।
- रैगिंग में लिप्त विद्यार्थियों के शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश निरस्त किया जायेगा।



रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार है

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028

वेबसाइट : www.mphrc.nic.in, ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.in



रै
रै गिंग
ग



करें
देखें
रोकें

- रैगिंग अमानवीय है।
- रैगिंग गैरकानूनी है।
- रैगिंग दण्डनीय अपराध है।
- रैगिंग एक कुप्रथा है।

इससे संस्था का अनुशासन भंग होता है
इसे रोकने में सहयोग दें।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : 0755-2572034, फैक्स : 0755-2574028

वेबसाइट : www.mphrc.nic.in, ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.in

रैगिंग → मानव अधिकार का उल्लंघन





मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

पर्यावास भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : 0755-2572034, फ़ैक्स : 0755-2574028

वेबसाइट : www.mphrc.nic.in

ई-मेल : mphumanright@yahoo.co.in

STOP  **P**

RAGGING

Bus Aur Nahin

रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार



रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार

रैगिंग एक ऐसा अमानवीय व्यवहार है जो शब्दों द्वारा या लिखित में किया जाये। जिससे किसी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करने उसके साथ अभद्रता करने या ऐसा करने से वह शारीरिक या मानसिक रूप से कुंठा ग्रसित हो जाये और एक भय का वातावरण निर्मित हो। किसी विद्यार्थी को ऐसा कृत्य करने के लिये प्रेरित करना, विवश करना जिसमें लज्जा महसूस होती है और ऐसी गतिविधियों से जूनियर छात्रों से शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे कृत्य जिनमें पैसों की मांग करना या पैसों को खर्च करने के लिये बाध्य करना, यौन उत्पीड़न करना, मज़बूत करना, जिससे वही जूनियर विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे सभी कृत्य रैगिंग की श्रेणी में आते हैं।

रैगिंग विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिये उत्पन्न की गयी एक ऐसी समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा अवस्था में ही विद्यार्थी का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ऐसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त किया जाना आवश्यक है। रैगिंग जैसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त करने और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, राघवन समिति की अनुशंसाएं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम लागू किये गये हैं। जिनकी जानकारी इस पुस्तिका में दी जा रही है।

रैगिंग कैसे होती है :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26(1) (जी) के अंतर्गत उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 कि धारा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि रैगिंग कैसे होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अंतर्गत आयेगे :-

1. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नये आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
2. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
3. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
4. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुंचाए।

5. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कर्तव्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
6. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
7. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग घालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे।
8. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
9. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन अस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

सेंटल बोर्ड ऑफ़ सेकेण्ड्री एजुकेशन (सी बी एस ई) ने 09 मार्च 2015 को एक परिपत्र जारी करते हुए सीबीएसई से संबंध स्कूलों ने रैगिंग की रोकथाम के लिये एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से रैगिंग और मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिये संस्था प्रमुख के साथ ही टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी तय की गयी है।

परिपत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं : , जिनमें मारपीट की रोकथाम के लिये गठित कमेटी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी :-

- स्कूल में बदमाशी जैसी घटनाओं को रोकने के लिये बनाये गये प्लान की सनीक्षा करना।
- बदमाशियों की रोकथाम के लिये बनाये गये कार्यक्रम को विकसित करने के साथ-साथ अमल में लाना।
- स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता लाना।
- लगातार निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुँचना।

आरोपी छात्रों के खिलाफ संभावित कार्यवाही करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश है :-

- पहले मौखिक या लिखित में चेतावनी दी जायेगी।
- क्लास या स्कूल से कुछ समय के लिये सस्पेंड किया जायेगा।
- रिजल्ट कैंसिल करना या टॉकने जैसी कार्यवाही की जा सकेगी।
- छात्र के खिलाफ आर्थिक दण्ड लगाया जा सकेगा।
- बड़ी घटना हो जाने पर छात्र को स्कूल से निष्कासित किया जा सकेगा।

पेरेंट्स की जिम्मेदारी :-

- स्कूल की विभिन्न कमेटीयों में पेरेंट्स की भूमिका को और मजबूत बनाया जाना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत शासन के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निर्देशक डॉ. आर. के. राघवन के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी जिसने रैगिंग रोकने के लिये अनुशंसाएं दी थी। जो इस प्रकार है :-

राघवन समिति के रैगिंग रोकने के लिये सुझाव :-

रैगिंग एक ऐसा अमानवीय व्यवहार है जो शब्दों द्वारा या लिखित में किया जाये जिससे किसी दूसरे विद्यार्थी को परेशान करने उसके साथ अभद्रता करने या ऐसा करने से वह शारीरिक या मानसिक रूप से कुंठा ग्रसित हो जाये और एक भय का वातावरण निर्मित हो।

किसी विद्यार्थी को ऐसा कृत्य करने के लिये प्रेरित करना, विवश करना जिसमें लज्जा महसूस होती है और ऐसी गतिविधियों से जूनियर छात्रों से शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे कृत्य जिनमें पैसों की मांग करना या पैसों को खर्च करने के लिये बाध्य करना, यौन उत्पीड़न करना, नग्न करना, जिससे की जूनियर विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक तहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे सभी कृत्य रैगिंग की श्रेणी में आते हैं।

रैगिंग विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिये उत्पन्न की गयी एक ऐसी समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा अवस्था में ही विद्यार्थी का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ऐसे अमानवीय व्यवहार को समाप्त किया जाना आवश्यक है। इन अनुशंसाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये थे।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश :-

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास

मंत्रालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक रह चुके डॉ. आर. के. राघवन की एक समिति बनाई थी। राघवन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग रोकने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये।

- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर एन्टी रैगिंग हेल्पलाइन स्थापित की गयी है। इस पर पीड़ित विद्यार्थी अथवा उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति नाम से या बिना नाम के शिकायत दर्ज करा सकता है। हेल्पलाइन का नम्बर 1800-180-5522 और ई-मेल का पता helpline@antiragging.in है।
- निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक संस्था के प्रमुख रैगिंग रोकने के लिये जिम्मेदार होंगे। वे रैगिंग की सूचना मिलने पर 24 घण्टे के अंदर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायेंगे।
- रैगिंग के अंतर्गत होने वाले अपराधों के हर मामले में न्यायालय प्राथमिकता से सुनवाई करेंगे।
- रैगिंग रोकने के लिये इस विषय को पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों के अंतर्गत शामिल करने पर विचार किया जाये।
- रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी का शैक्षणिक संस्था में प्रवेश निरस्त किया जाये और उसे संस्था में प्रवेश न दिया जाये।
- राज्य शासन रैगिंग रोकने के संबंध में प्रचार प्रसार करें। वह रैगिंग के दोषी पर हुई दण्डात्मक कार्यवाही को भी प्रचारित करें।
- सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में एन्टी रैगिंग समितियां और एन्टी रैगिंग रोधी दस्ता गठित की जाये। इसके पदाधिकारियों के नाम, टेलीफोन नम्बरों सहित संस्था के परिस्तर में बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये।
- राघवन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उनमें मुख्यतः शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख रैगिंग रोकने के लिये जिम्मेदार होंगे।
- रैगिंग की जानकारी मिलने पर संस्था प्रमुख 24 घण्टे के भीतर पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज करायेंगे। ऐसा नहीं करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों की कंडिका -7 के अनुसार संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जायेगी और ऐसे शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009". के प्रावधान 9.2 के अनुरूप

कार्यवाही की जायेगी, जिसके अंतर्गत संस्था की मान्यता वापस लेना, ऐसी संस्था के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से रोकना, अनुदान वापस लेना, अनुदान रोकना अथवा यू.जी.सी. के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई अन्य दण्ड शामिल है।

वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की कुप्रथा को रोकने की दृष्टि से नियम बनाये गये। इन नियमों की कंडिका -7 के अनुसार रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर शिक्षण संस्था के प्रमुख अथवा उनके द्वारा अधिकृत एन्टी रैगिंग कमेटी के किसी सदस्य के द्वारा 24 घण्टे के अंदर पुलिस में भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम सूचना (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाने की जिम्मेदारी है।

प्रत्येक छात्र और उसके अभिभावक को संस्था में प्रवेश के समय रैगिंग में सम्मिलित न होने के संबंध में शपथ पत्र देना आवश्यक है। इस शपथ पत्र के आधार पर यदि वह छात्र रैगिंग में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

रैगिंग होने पर छात्र क्या करें -

- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी व प्राचार्य को तुरंत अवगत करायें। वे इसे छिपाये नहीं व न ही उन छात्रों से डरें।
- संस्था प्रमुख को सूचित करें।
- संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. (प्रथम सूचना रिपोर्ट) तत्काल दाखिल करें।
- रैगिंग होने की स्थिति से तत्काल परिजनों को अवगत कराये।
- पुलिस व प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही करेंगे एवं उन्हें सूचित अवश्य करें।

कॉलेज प्रबंधन के दायित्व -

- शिक्षण संस्था के प्रमुख (प्राचार्य) की यह जिम्मेदारी है कि रैगिंग की जिम्मेदारी मिलने पर 24 घण्टे के भीतर पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज करायेंगे। अगर प्राचार्य ऐसी घटना को छिपाते हैं व पुलिस को सूचना नहीं देते तो वे दुष्चरणा के आरोपी बन सकते हैं।
- शिक्षण संस्था के प्रोस्पेक्टस में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि रैगिंग एक अपराध है और यदि कोई छात्र रैगिंग में लिप्त होगा तो उसे संस्था से निष्कासित किया जायेगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जायेगा।

- शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी और उनके अभिभावक से इस आशय पर शपथ पत्र लिया जाये कि वे रैगिंग में शामिल नहीं होंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग रोकने के लिये बनाने गये नियमों का सख्ती से पालन करें।
- शिक्षण संस्था में एंटी रैगिंग कमेटी और उडनदस्ते का गठन किया जाये।
- सीनियर छात्रों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाये।
- रैगिंग लेने वाले छात्रों को शिक्षण संस्था से तत्काल निष्कासित किया जाये।
- सीनियर एवं जूनियर छात्रों के मध्य परस्पर सौहार्द का वातावरण बनाने के लिये कार्यक्रम किये जायें।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 की धारा 5 के अंतर्गत संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत -

1. कोई भी संस्था या उसके विभाग अपने परिसर, परिवहन या अन्य स्थानों पर रैगिंग रोकने के लिये विनियमों के अनुसार सभी आवश्यक उपाय करेंगे तथा रैगिंग कि किसी भी घटना को दबाया नहीं जायेगा।
2. सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार प्रसार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विनियम के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
इसी अधिनियम की धारा -6 में संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपायों का वर्णन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से संस्था द्वारा रैगिंग रोकने बाबत प्रचार प्रसार, मीडिया के माध्यम से जानकारी देना, संस्था कि प्रवेश पुस्तिका में रैगिंग रोकने संबंधी निर्देश और एंटी रैगिंग समितियों के सदस्यों कि जानकारी दूरभाष नम्बर सहित दी जाना तथा प्रवेश के समय शपथ पत्र हिन्दी अंग्रेजी व प्रादेशिक भाषा में लिया जाना जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि रैगिंग करने के दोषी को विनियम तथा विधि अनुरूप दण्ड और संस्था से निष्कासन सम्मिलित है। इसी धारा में प्रावधान किये गये हैं कि संस्था प्रमुख एंटी रैगिंग समितियों का आवश्यक रूप से गठन करेंगे। संस्था परिसर और छात्रावास आदि में 24 घण्टे रैगिंग रोकने के लिये कड़ी नजर रखने का प्रबंध करेंगे। इसी अधिनियम की धारा 6.3 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक संस्थान एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करेगी जिसमें पुलिस और नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि सहित मीडिया और गैर सरकारी संगठन के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। धारा 6.4 में संस्था को ऐसे उपाय करने के प्रावधान सम्मिलित है जिनमें मुख्य रूप से

छात्रावास वार्डन के मुख्य दायित्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें काउंसिलिंग, निगरानी मुख्य रूप से सम्मिलित है।

इसी अधिनियम की धारा 6.4 (द) उल्लेख है कि रैगिंग के देखरेख करने वाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राज्य स्तरीय देखरेख करने वाली सेल को कुलपति के माध्यम से प्रेषित की जाये।

पुलिस के दायित्व -

- रैगिंग की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज की जाये।
- रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- समय समय पर शैक्षणिक संस्था के प्रमुख एवं एंटी रैगिंग कमेटी से समन्वय स्थापित किया जाये।
- किसी भी शैक्षणिक संस्था या छात्रावास आदि में रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाये।
- भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत रैगिंग के दौरान होने वाली घटनाओं पर घटना की स्थिति अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जैसे कि -
 1. धारा 294 भा.द.स. के अंतर्गत अश्लील कार्य करने या अश्लील गाने या शब्द कहने जिससे कि दूसरों को क्षोभ होता हो तो ऐसे दोषी को अधिकतम तीन माह के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।
 2. धारा 506 भा.द.स. अपराधिक अभिप्राश के लिये दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा और यदि धमकी, घोर उपहति कारित करने की घटना हो तो सात वर्ष कारावास का दण्ड व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।
 3. धारा 326 भा.द.स. के अंतर्गत खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने पर दस वर्ष कारावास और जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
 4. धारा 306 भा.द.स. आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने पर दस वर्ष तक का कारावास व जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।
 5. धारा 307 भा.द.स. हत्या करने का प्रयत्न करने के अपराध में दस वर्ष कारावास और जुर्माना से दंडित किया जायेगा। ऐसी घटना से मृत्यु होने पर अपराधी को आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है।

6. धारा 302 भा.द.स. के अंतर्गत हत्या के लिये आजीवन कारावास, मृत्यु दण्ड जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग होने कि स्थिति में पीड़ित छात्र को होने वाली क्षति के अनुरूप भारतीय दण्ड संहिता की उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत किये गये दण्ड प्रावधान से दण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग के दुष्परिणाम से कई युवा और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो जाता है, वे एकाकीपन की ओर बढ़ने लगते हैं तथा अवसाद और आत्महत्या के कारण कभी-कभी आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। जिससे उनका परिवार व समाज भी प्रभावित होता है। टाईम ऑफ इंडिया के 05 सितंबर, 2014 के अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश में उत्तरप्रदेश राज्य में सर्वाधिक रैगिंग के प्रकरण सामने आये जबकि मध्यप्रदेश में रैगिंग की प्रकरणों की संख्या जून, 2009 से सितंबर, 2014 तक 263 प्रकरण पाये गये।

रैगिंग से पीड़ित विद्यार्थी या उसके सहपाठी अथवा जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को निडरता के साथ रैगिंग की शिकायत दर्ज कराना चाहिये ताकि रैगिंग लेने वाले विद्यार्थियों के मन में रैगिंग जैसे अमानवीय व्यवहार न करने की सीख मिल सके। हम सभी को रैगिंग जैसे अमानवीय व्यवहार को जड़मूल से समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिये ताकि सभी विद्यार्थियों के मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके।

देश के कई राज्यों ने एन्टी रैगिंग कानून बनाये हैं जिनसे इस कुप्रथा को रोकने में सहायता मिली है।

रैगिंग की शिकायत यहाँ तत्काल करें

- शैक्षणिक संस्था के प्रमुख को
- शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
- ई-मेल - helpline@antiragging.in
- हेल्पलाइन नम्बर - 1800-180-5522
- पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर - 100
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल - 462 011
- फोन नं.-0755-2572034, फैक्स - 0755-2574028
- ई-मेल - mphumanright@yahoo.co.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उत्तरांचल शिक्षण बोर्ड की वेबसाइट से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 दू 2009

नियंत्रण 1-16/2007(सी.पी.सी.-II)

उद्देशिका

माननीय उच्चतम न्यायालय के कोरल विश्वविद्यालय बनान काउंसिल डिप्लोमा कॉलेज तथा अन्य, एल.एल.पी. सं. 24295, 2006 के 16-5-2007 तथा दिनांक 08-5-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए। छात्र अथवा छात्रों द्वारा भौतिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छात्र को उत्पन्न अथवा अनुशासनात्मकता की गतिविधियों में शामिल करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करे। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार विमर्श को परामर्श दे अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उप खण्ड (जी) उपखण्ड (ः) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है—

1. शैक्षणिक, प्रशासन और प्रयोजनता

- 1.1 वे अधिनियम 'विश्वविद्यालय अनुदान को उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैपिंग के प्रकार को रोकने के अधिनियम, 2008' कहे जाएंगे।
- 1.2 वे राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एक) के अनुसार / विश्वविद्यालय की परिभाषा के अंतर्गत जानेवाली सभी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बंधित छात्रों से युक्त संस्थाओं, विभागों, इकाइयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आयासीय, खेल के मैदान, जलसंचयन गृह तथा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं वाले वे परिसर के भीतर हों अथवा बहार तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन माहों वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

2. प्रादेशिक

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को शैक्षिक अथवा निश्चित राशियों द्वारा प्रकटित करना, उसे घेड़ना किसी नए छात्र को साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य करना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का बहिष्कृत होने के कारण शोचन करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अंतर्गत रैपिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में सतिष्ठा व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।

3. रैपिंग जैसे शब्दों से—

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैपिंग के अंतर्गत आएंगे—

1. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का शैक्षिक राश्यों अथवा शिक्षित राशियों द्वारा उपरोक्त अथवा दुर्व्यवहार करना।
2. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
3. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
4. परिश्रम छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र को चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
5. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु समय कर शोषण करना।
6. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
7. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का शोचन, सम्बन्धित प्रहार, नंगा करना, अवश्लील तथा काल सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग धारण द्वारा दुरा भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
8. शैक्षिक राश्यों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पत्रिकाएँ किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्वाभाविक अथवा कष्टदायक देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
9. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन बहिष्कृत अथवा अल्पविकास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

4. अविवरण

1. इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संघर्ष न हो।
2. अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।
3. वार्षिक दर का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी कार्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की वार्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।
4. रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।
5. आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।
6. समिति (अधिनियम) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा सार बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा अलग इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) का काउंसिल ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) डेटस काउंसिल ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) डेटस एजुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.) टी इंडिया काउंसिल ऑफ एडीकल्चर रिसर्च (आइ.सी.ए.आर.) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आइ.एन.सी.) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) वेल्फेयर काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (एन.टी.टी.ई.) ग्रामिणी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी. आई.) इत्यादि तथा राज्यों के उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि।
7. शिक्षा वार्षिक रैगिंग विरोधी समिति का तात्पर्य जिलास्तरी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिधीय में गठित समिति है।
8. संसद/राज्य का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा वीएच विश्वविद्यालयों हेतु मुद्रण/प्रिंट अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य सम्बंधित का कार्यकारी अध्यक्ष है।
9. "वेबसाइट" का तात्पर्य यह धारा है जिसका प्रदेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में छात्रों की बढ़ाई या प्रथम वर्ष चल रहा है।

10. संस्था का तात्पर्य यह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो वीएच विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें प्रथम सीमा तक उपस्थिती छात्री हो। स्नातक/स्नातकोत्तर तथा उच्चतर स्तर अथवा विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की।
 11. एन.ए.सी. का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम की 12(सी.सी.सी.) के अनुसार स्थापित नेशनल एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल है।
 12. राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा वीएच सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निगम है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।
 13. सार्व तथा अधिनियम को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य धारा 1087 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।
- 5. संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय-**
1. कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके छात्रों सहित केवल विभागों तक नहीं उसकी संघ तक ईसाई, कॉलेज, शिक्षण संघ, उसके भू-गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह अदि चाहे वे विश्वविद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, या निजी स्तर में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।
 2. सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलग्न प्रक्रियाओं को विरुद्ध इन विनियमों के अनुसार कार्यवाई करेंगे।
- 6. संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय**
1. छात्रों के प्रदेश अथवा गंभीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।
 2. संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक दूरध, अन्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को

प्रवेश संबंधी घोषणा में मही बताया जाए कि संस्था में रैपिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैपिंग करने अथवा उसके प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैपिंग प्रकार से चतुर्विध में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

- ख प्रवेश की पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका पाठ्य वे इलेक्ट्रॉनिक हो अथवा मुद्रित उनमें से विनियम विस्तार से छात्रें जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विवरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैपिंग होने का संस्था के अध्यक्ष इसके साथ 'संस्थाध्यक्ष', 'संकाय सदस्य रैपिंग विरोधी समिति के सदस्यों, रैपिंग विरोधी दलों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, गार्डों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को दूरतम तत्पर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छात्रे जाएँ।
- घ जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहाँ विश्वविद्यालय यह विशिष्ट कर से कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 8.1 के खण्ड (ए) और खण्ड (बी) का अनुपालन करें।
- च प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक समय पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/ अन्यथा की जात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अन्यथा द्वारा भरा जाए तथा इसतमर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों के पक्ष लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा यह रैपिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। यह यह घोषणा करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकासता नहीं गया है। साथ ही यह रैपिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैपिंग करने अथवा रैपिंग के दुष्करण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।
- ड प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक समय पत्र अंग्रेजी

और हिन्दी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक 1। अन्यथा के साथ-विना अधिभाषक की ओर से किया जाए कि उन्होंने रैपिंग के अधिनियम को पक्ष लिया है तथा समझ लिया है तथा रैपिंग सेकने संबंधित अन्य कानून को भी जानती है तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानती है। वे घोषणा करते हैं कि उनका कोई किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और न ही निकासत गया है तथा उनका कोई रैपिंग से सम्बंधित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैपिंग के दुष्करण में भाग नहीं लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उनको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

- ग प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल रैपिंग/समाचारण प्रमाण-पत्र/प्रवेश प्रमाण-पत्र/वैदिक प्रमाण पत्र हो जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो तबकि संस्था इसके बाद उस पर तत्पर रख सके।
- घ संस्था के/संस्था द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था किए गए छात्रावास की प्रार्थना करने वाले छात्र को प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त सख्त पत्र देना होगा। साथ पत्र पर उसके साथ/जित/अधिभाषक के भी हस्ताक्षर होंगे।
- च किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्था अध्यक्ष विनियम अधिकाधिक/अधिकारियों जैसे छात्रपाल (गार्डन) छात्र इतिवृत्ति छात्रों के साथ-विना अधिभाषक, शिवा प्रशासन पुस्तिका आदि की शीटिंग अवलोकित करें तथा रैपिंग सेकने के उपरों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्करण करने वालों को चिन्हित कर दण्डित करने पर विचार-विमर्श हेतु उसे सम्बंधित करें।
- ड समुदाय विशेष रूप से छात्रों को रैपिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति तैयारी से अवगत करने हेतु बड़े पोस्टर (बोर्ड) से क्लेबोर्ड नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रपाल, विभागों तथा अन्य व्यक्तियों को सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर सजाती रूप से ही जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं वहाँ रैपिंग का अवधान किए

- जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लगाए जाएं।
- 3) संस्था विधियाँ से यह अनुमति देने कि वह रैपिंग रोकने के विषयों का प्रचार-प्रसार करे। संस्था के रोकने और उसमें लिखे गए जाने पर बिना भेद-भाव एवं भय के दखिदा करने के विषय प्रचार करें।
 - 4) संस्था द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्बोधित जाए तथा अनुमति स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। संस्था द्वारा परिवार में विषम समय तथा वैयक्तिक सत्र के प्रारम्भ में बुलाया जावस्था बढ़ाई जाए तथा रैपिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैपिंग विरोधी समस्त दल तथा सर्व्व सेवी (एडि कोर्डे टो) व्यक्तियों से इसमें सहकार्यता ली जाए।
 - 5) संस्था अथवा संस्था के सचिव को नए वैयक्तिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व रैपिंग के विरुद्ध संश्लेषी, पोस्टर, पर्शिका, नुक्कड़ नाटक आदि को द्वारा प्रचार करें।
 - 6) संस्था के विभिन्न सत्र संकाय/विभाग/इकाई आदि।
 - 7) संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वाभुमान कर निवारण करने तथा वैयक्तिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैपिंग निषेध संबंधी अभियान के लक्ष्यों और चर्चेसवी को ध्यान में रखते हुए विधियाँ प्रत्यक्ष करें।
 - 8) प्रारंभ संस्था अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले परीक्षार कारास्थितियों की सेवा अथवा सहायता से और के वैयक्तिक सत्र प्रारम्भ होने के बाद भी नए-नया अन्य छात्रों की सहायस्थितियों के लिए उपलब्ध हों।
 - 9) संस्थास्य स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को किलीय अक्षर पर प्रत्यक्ष किए गए छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे स्थान के संस्था में विस्तृत जानकारी दें। संस्थास्य यह भी सुनिश्चित करें कि रैपिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रैपिंग रोकने हेतु मौकसी रखें।
- 6.2 छात्रों का प्रवेश, मार्गक्रम अथवा परीक्षण होने पर नियमितकृत समय परगए, जिसका नाम इस प्रकार है—
- क) संस्था में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पर्शिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न चर्चेसवी हेतु जिससे निर्देशन प्राप्त कराने

- है। उसमें विभिन्न अधिकारियों के दूरभाष नं० तथा पते भी दिए जाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किली भी सम्बन्धित व्यक्ति से संपर्क करे। इन विधियों में संदर्भित रैपिंग विरोधी ईमेलसाईन, चार्टर, संस्थास्य तथा रैपिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों तथा सम्बन्धित किले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और दूरभाष नं० विशेष रूप से समाहित किए जाएं।
- ख) संस्था इन विधियों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देश दिए गये हैं। प्रत्येक को नए छात्रों को ही जानेसली पर्शिका द्वारा स्पष्ट करें तथा उन्हें अन्य छात्रों से भारतीयी परिचित करने हेतु कार्य करें।
 - ग) इन विधियों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्शिका द्वारा नए छात्रों को संस्था के भोगस्यद्वय स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताए जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किली का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके परिवार छात्रों ने कहा हो तथा रैपिंग के प्रयास के रूपमा तुलना रैपिंग विरोधी दल, चार्टर अथवा संस्थास्य को दे दें।
 - घ) इन विधियों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्शिका में संस्था में मनाए जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा परिधिधियों की लिधि दी हो ताकि नए छात्र संस्था के वैयक्तिक परिवार एवं साहाय्य से परिचित हो सकें।
 - च) परिच छात्रों को आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविध्यास कार्यक्रम आयोजित करें जिसका नाम - (i)-संयुक्त वैश्वेताइजेशन प्रोग्राम और परिच और कनिष्ठ छात्रों की कारास्थितियों व्यावसायिक साहाय्यार के साथ खण्ड - 6.1 नियम के विनियम के अनुसार करे (ii) नये और पुराने छात्रों को संयुक्त अभिविध्यास कार्यक्रम को संस्था तथा रैपिंग विरोधी समिति सम्बन्धित करे (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिच हेतु अधिकारिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की परिधिधियास आयोजित की जाये (iv) छात्रावास में चार्टर सभी छात्रों को सम्बन्धित करे तथा अपने दो (v) कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करे (vi) उन्हें एक संभव हो संकाय-सहाय्य डॉक्टरल में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करे ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास

का भाग उत्पन्न हो।

- घ संस्था समुचित समितियों का गठन करे। कोर्ट इंफार्म, वार्डन तथा कुछ परिषद छात्र इन समितियों के सदस्य हों। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बंध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे।
- ङ नये अथवा अन्य छात्र चाहें वे रैनिंग के भोगी हों अथवा रैनिंग होते हुए उन्होंने बोधी स्त्री देखें हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।
- च संस्था में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक पैर को छोटे-छोटे वर्गों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं वर्ग युव के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में यत्नित सहायता करे।
- छ इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वर्तनों को सहयोग दे तथा छात्रावास में औषक निरीक्षण करते हों। जहाँ संकाय सदस्य की अपने अधीन छात्रों की डायरी मॉन्ट्रिंग करें।
- ज नये छात्रों को अलग छात्रावास में रखा जावे और जहाँ इस प्रकार की सुविधाएँ न हों वहाँ संस्था यह सुनिश्चित करे कि नये छात्रों को रिपे-शब्दे निवास स्थानों पर वार्डन तथा सुप्रा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।
- झ संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैनिंग सोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करे।
- ट नये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैनिंग से सम्बन्धित सूचना संस्था-अध्यक्ष को प्रदान करें।
- ड प्रदेश के समय प्रत्येक छात्र जो संस्था में पढ़ रहा हो। यह और उसके माता-पिता/अभिभावक प्रदेश के समय निर्दिष्ट शब्ध पत्र दे जैसा कि विनियम के विनियम 8.1 खण्ड (डी) (ई) और (जी) के अनुसार दिया जाना। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में चाहिए।

- ड प्रत्येक संस्था विनियम (8.2) छात्र -- एल के सम्बन्ध अनुसार प्रत्येक छात्र से समय पत्र ले और उनका उचित रिकार्ड रखें। प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रानिक रूप में सुरक्षित रखें ताकि जब आवश्यकता हो तभीतन अथवा कोई संजलित अथवा संस्था अथवा सम्बन्धित विरयदिहास्य अथवा किसी अन्य सहाय व्यक्ति अथवा/संगठन द्वारा उन्हें प्राप्ता किया जा सके।
- ण प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने रोजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे यदि उसका निवास स्थान तय नहीं किया है या वह अपने निवास बदलना चाहता/चाहती है तो उसका निरूपण होती ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी चर्च पर व्यक्ति किये नये मन्तों अथवा छात्रावासों को जहाँ वह रह रहा है/रही है।
- त आयोग शब्ध पत्रों के अन्तर्गत पर एक उचित अंकड़ा बनाये रखें जो प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया गया हो। इस प्रकार का अंकड़ा रैनिंग की शिफायतों तथा उसके बाद की नयी कर्तव्यता का रिकार्ड भी रखें।
- थ आयोग द्वारा अंकड़ा नैर सरकारी निकाय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो को उपलब्ध कराया जावे इससे आन लानता में विरवास तथा समिति के आदेश का अनुपालन न करने की सूचना दी जा सके।
- द प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को रैनिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में आपस आने पर उनको स्वयं बासक रैनिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

- 6.2 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समिति/समितियाँ गठित करें।
- 76 प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एंडी रैगिंग पानेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इनमें पुस्तक तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हों। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े वर सरकारी संघटक संज्ञाव सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षणकार कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से रैगिंग के आसार पर इस समिति में स्त्री पुरुष दोनों हों।
- 77 रैगिंग विरोधी समिति का कार्यक्षेत्र होगा कि यह इन विनियम पालन तथा रैगिंग से सम्बन्धित मामलों का अनुपालन करए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखे।
- ग प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग विरोधी (एंडी रैगिंग इक्वैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित किया जाए। यह समिति नजर रखे तथा हर समय पैटर्नरिंग और गतिशील बनी रहने हेतु तैयार रहे।
- रैगिंग विरोधी दल/स्क्वैड में संघस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिवार से बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे।
- घ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि यह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का घटना की ओरक निरीक्षण करें।
- ङ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि यह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संज्ञाव सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संसुति सहित रैगिंग विरोधी समिति को विधियम 9.1 उपखण्ड (ए) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे।

रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करे तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी नए जानेवाले

- छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पुरा अवसर देने तथा लघु एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना द्रष्टित की जाए।
- 6.3 प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियमों के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनिटर करनेवाले स्वयंसेवी छात्र हों। नए छात्रों पर एक मॉनिटर होना चाहिए।
- छ प्रत्येक विश्वविद्यालय, एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में इन विनियमों के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दे। मॉनिटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षाधिकारी को अध्यक्षता में गठित/जागपद स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति के सम्पर्क में रहे।
- ज मॉनिटरिंग सेल, संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनका सहमति की भी जाँच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उसकी मुख्य भूमिका होगी। रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।
- 6.4 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करे, जिनका नाम हो—
- क प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते हैं। संस्था के उस भौग में पूर्वकालिक कर्तन हो जिसकी निवृत्ति संस्था द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाए जो अनुशासन बनाये रखे तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर कालरैगिंग और सम्बंध बनाये रहे। यह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अल्पत निकट रहे।

- छ) कार्बन ड्राइव संस्था उपलब्ध हो। दुरुभाष तथा संघर्ष की अन्य साधनों से ड्राइव संस्था समर्थ किया जा सके। कार्बन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसकी नम्बर की जानकारी छात्रावास में रख रहे सभी छात्रों को हो।
- ग) संस्था द्वारा कार्बन तथा डैरिंग टोकन से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों को अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे कार्बन को नियंत्रण में हों तथा कार्बन द्वारा उनके कार्ड का दुरुपयोग किया जाए।
- घ) इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (जी) के अनुसार इलेक्ट्रिक से संचालित पेट्रोल कारोपरेशन रखे जायें जो नये और अन्य छात्र जो अपने अपने कारोपेशन की सहायता हेतु विद्युत संचय छात्रावास में रखने से सम्बन्धित कारोपरेशन चलाते हों उनमें सीडमिलिटिंग करे। ऐसे कारोपरेशन सभी से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी पटोटा जाये।
- ङ) संस्था डैरिंग रिपोर्टी करारों का व्यापक कारोपरेशन सत्र, कारोपरेशन, पेट्रोल द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।
- च) संस्था के संस्था सदस्य उसका डिस्क्रिमीनेट कर्मचारी, जो संघर्ष प्रशासनिक घट रक सीमित नहीं है, कुल कार्डस तथा संस्था के अन्दर सेवा करनेवाले कार्यवाहियों को डैरिंग तथा उसके दुर्नियोजन के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
- छ) संस्था/विभाग एवं डिस्क्रिमीनेट इलेक्ट्रिक कर्मचारी से सचिवा पर रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को कार्ड में सीटीम के कर्मचारी ही अथवा कुल कार्ड ही का सहायता वाले कर्मचारी हों संचाले एक अनुबन्ध ले कि वे अपनी जानकारी में अपनेवाले डैरिंग की घटना की जानकारी दुरग सहाय अधिकारियों को देंगे।
- ज) संस्था द्वारा सेवा कार्ड की निगरानी में डैरिंग की सुचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुपयोग नष्ट देने का विद्यम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिपोर्ट में रखा जाए।

- झ) संस्था द्वारा सीटीम और गैस को कर्मचारियों, कार्ड के संस्था के कर्मचारी ही अथवा किसी सेवा देने वाले को तब निर्दिष्ट किया जाए कि वे अपने सेवा में लक्ष्य प्राप्त करें तथा डैरिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी दुरग गन्धवाहक डैरिंग रिपोर्टी समिति के सदस्यों अथवा कार्डों को दें।
- ञ) विद्युत की किली की सत्र की उपस्थिति सेवावाली संस्था यह देख ले कि उसके पाठ्यक्रम में डैरिंग रिपोर्टी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। सहाय अधिकारियों को सेवा पर रखा दिया जाए। विभिन्न विद्युत के पाठ्यक्रम में डैरिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक विद्युत जातनियंत्रण के विद्युत से निष्पत्ती का रंग आना चाहिए।
- ट) प्रथम वर्ष गए विद्यार्थियों की ओर इन सप्ताह दिन में सुलभाप वेंतलीय सफल कि जाए। यह देखने से लिए कि संस्था में डैरिंग नहीं हो रही है। संचालन की समीक्षा संस्था सचय निश्चित करे। संस्था द्वारा छात्र को लिए जानेवाले विद्युतविद्युत छोड़ने के प्रयास पर, स्थानान्तरण प्रयास पर नें छात्र को सामान्य सचिवा और संचालन के अधिकार यह भी दिया जाए कि वक्त छात्र कर्मी डैरिंग सम्बन्धी उपलब्ध में संचिवा रहा है। क्या छात्र ने कोई शिक्षक अथवा दुरग को इति धरुणने कात अवस्था किया है।
- ड) इन विनियमों विभिन्न अधिकारियों सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बनाए गए हैं। इससे सत्र ही सभी कर्मों के अधिकारियों संस्था के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित साथ यह सचिवा ही अथवा अथवाही जो भी संस्था की सेवा कर रहा है उसका। यह सामुहिक दायित्व होना कि यह डैरिंग की घटनाओं को रोके।
- ढ) विद्युतविद्युत से सम्बन्धित संस्थावाला अथवा अन्य संस्था का अथवा सत्र के जातनियंत्रण रंग नहीं लेता डैरिंग के अथवा से अनुपलब्ध तथा डैरिंग रिपोर्टी उपचारों की जानकारी से सम्बन्धित इन विनियमों के अन्तर्गत सामुहिक रिपोर्ट उस विद्युतविद्युत के सुलभाप अथवा जिसकी द्वारा यह संस्था रिपोर्टिंगवाला की गई है। उसे दें।
- ण) प्रत्येक विद्युतविद्युत को सुलभाप मोहोदय विद्युतविद्युत तथा डैरिंग की देखरेख करनेवाले सेवा की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह दिन कात राज्य सचिवा देख लेख करने

पारले क्षेत्र को दे।

- 7 संसदात्मक द्वारा की जानेवाली कार्यवाही—
- I. रैलिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैलिंग की शुरुवात प्राप्त होने पर संसदात्मक द्वारा सुनिश्चित करें कि क्या कोई अर्द्ध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह पंचम अध्याय उसके द्वारा अधिकृत रैलिंग विरोधी समिति से शुरुवात प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैलिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैलिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।
 - II. रैलिंग हेतु प्रस्ताव
 - III. रैलिंग का आपराधिक चरित्र
 - IV. रैलिंग के समय अर्द्ध डंग से एकत्र होना तथा प्रस्ताव करना
 - V. रैलिंग की समय प्रस्ताव को अहित करना
 - VI. रैलिंग से द्वारा शांतिपूर्ण और वैधिकायत नंग करना
 - VII. शरीर को घोट पहुँचाना
 - VIII. माला डंग से घेरना
 - IX. आपराधिक दल प्रयोग
 - X. प्रहार करना, गैर सम्बन्धी अपराध अथवा असांख्यिक अपराध
 - XI. बलात् प्रयोग
 - XII. आपराधिक डंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
 - XIII. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
 - XIV. आचाराधिक धमकी
 - XV. सुरक्षा में लीके अहितको के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
 - XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध लीकृत के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
 - XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
 - XVIII. रैलिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध
रैलिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उपलब्ध किया जाता है।

संसदात्मक रैलिंग की घटना की शुरुवात शुरुवात प्राप्त करती रैलिंग विरोधी समिति तथा संसदा विधायिकालय के मोडल अधिकारी को दे।

यह भी उपलब्ध किया जाता कि संसदा इन विनियम के चरण 9 से अर्द्ध अपनी शक्ति और प्रभाव पुनिल तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर शैरकारिक कार्यवाही पूरी कर ली जाए।

- 8 आयोग और परिषद के कर्तव्य एवं शक्तियाँ
- 8.1 आयोग रैलिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीघ्र शुरुवात हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा—
- क आयोग जन निर्धारित करेगा तथा एक दौल की रैलिंग विरोधी सहायता लाइन बनाएगा जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका छात्र रैलिंग से सम्बन्धित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं।
- ख रैलिंग विरोधी हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश शुरुवात संसदात्मक, छात्रावास के गार्डन सम्बन्धित विधायिकालय मोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा। सम्बन्धित जिले के अधिकारियों यदि आवश्यकता हुई तो जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को भी जाएगी तथा वेबसाइट पर काल भी जाएगी ताकि वेबसाइट तथा सामान्य जनता उसका विश्लेषण करे।
- ग संसदात्मक को एटी रैलिंग हेल्पलाइन पर मिली शुरुवात पर त्वरित कार्यवाही इन विनियम के उपलब्ध (बी) के अनुसार करनी होगी।
- घ छात्र अथवा किसी भी व्यक्ति को रैलिंग विरोधी हेल्पलाइन पर संदेश देने हेतु संसदा मोबाइल और फोन के बे-रोक-टोक प्रयोग की छात्रावास तथा परिवार, प्यार, सम्बन्धी कल सुरक्षासह्य आदि के अधिकारिता सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति के अधिकारिता सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति देगा।
- ङ रैलिंग विरोधी हेल्पलाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संसदात्मक संसदा के सदस्यों, रैलिंग विरोधी समिति के सदस्यों तथा रैलिंग विरोधी दल जिले के अधिकारियों, डॉक्टरों को गार्डनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों, फोन सम्बन्ध

तथा उसे छात्रों को उपलब्ध कराए जाएं ताकि आदर्शिकता में वे उनका प्रयोग कर सकें।

ग. राष्ट्रीय छात्रों (शत्रु उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर अंकित) रक्षण। यह अंकित रैगिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकार्डों के रूप में कार्य करेगा।

घ. आयोग इस अंकित को संचयन द्वारा स्थिति एवं गैर सरकारी संघटन को उपलब्ध कराएगा। इसके आम जनता में विश्वास बढ़ेगा इन विनियमों के अनुपालन न करने की सूचना भी आयोग संचयन द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध कराएगा।

7.2 आयोग विधान के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा—

क. आयोग संसद हेतु यह आशयक करेगा कि वह अपनी विधायिका में संचयन के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मॉडिटरिंग समिति के रैगिंग विरोध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम संचयित करे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिर रहे हैं। तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

ख. आयोग यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

ग. आयोग द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य किसी प्रकार की जायिक सहायता अथवा अनुदान के कुविलिडेशन प्रमाण पत्र में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रैगिंग विरोध सम्बन्धी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।

घ. रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के रिकॉर्ड अथवा एन.ए.ए.सी. अथवा किसी अन्य सचयन एजेंसी द्वारा दी जानेवाले रैगिंग और रैगिंग पर पुष्पकचक चक सचयता है।

ङ. आयोग तब संस्थाओं को अधीरिता अनुदान दे सकता है अथवा अधिविनियम खण्ड 12 बी के लिए उन्हें मान सकता है। जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होती।

च. जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी। आयोग रैगिंग रोकने के लिए एक इंटर

एडिशनल जजमेंटों को संचयन विधानों की विधि परिपटी के अधिनियम होने। गैर सरकारी एजेंसी आयोग द्वारा चले जा रहे अंकितों को देखने के लिए उपलब्ध (जी) अधिविनियम 2: के और इस प्रकार के विकास उपलब्ध शिक्षा में रैगिंग विरोधी उपायों को देखने तथा सहयोग देने हेतु तथा समय-समय पर संसुधियों देने हेतु और प्रत्येक जर्न के छात्रों में इसकी रूप से एक एक बैठक होगी। आयोग एक रैगिंग विरोधी सेंट आयोग में बनाएगा। जो रैगिंग के सम्बन्धित सुधारों को करे तथा उपलब्ध दृष्टि रखने में सक्षम की सहायता करेगा। राज्य स्तरीय दृष्टि रखने वाले सेंट को सक्षम रैगिंग को रोकने के उपायों पर सुचारु रूप से कार्य हो सके। यह सेंट गैर सरकारी संघटन को रैगिंग रोकने में सम्बन्धित होंगे, जो अंकित देख देख में सहायता देंगे। इसकी संरचना अधिविनियम 2: के खण्ड (जी) के अधीन की जाएगी।

9 रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई—

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क. रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वल्प एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी रोकें दण्ड हेतु अपनी संसुधित देगा।

ख. रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दण्ड द्वारा निर्धारित किए गए अण्डों के स्वल्प और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

- I. यथा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निरात्मक
- II. छात्रावास/साथ अयोग्यता तथा अन्य जगहों को रोकना/सक्षित करना
- III. किसी दंड/परीक्षा अथवा अन्य सुव्यवस्था प्रक्रिया में उपस्थित होने से सक्षित करना
- IV. परीक्षाकाल रोकना
- V. किसी प्राथमिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय गैर-संयुक्त युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से सक्षित करना।
- VI. छात्रावास से निष्काशित करना

- VII. सेवा रद्द करना
- VIII. संस्था से 04 सप्ताह तक के लिए लिए निष्कासन करना।
- IX. संस्था से निष्काशित और परिचय करवाने किसी को संस्था में विरिधता अर्थात् टाक निष्काशन करना। जब रैनिंग करने अर्थात् रैनिंग करने के लिए भद्राभागे वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामुहिक दण्ड का आशय ले।
- ग रैनिंग विशेषी कर्मिणी द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (अप्रील) निम्नलिखित से की जाएगी।
 - I. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था होने पर कुलपति से।
 - II. विश्वविद्यालय का अद्वैत होने पर कुलपतिजी से
 - III. संस्था के अधिनियम के अनुसार निर्दिष्ट राष्ट्रीय मंचन की संस्था होने पर उसके चयनयोग अथवा चॉसलर अथवा स्थिति के अनुसार
- 9.2 यदि किसी विश्वविद्यालय के अधीन/सम्बद्ध कोई संस्था (जो उसके विधान में सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो) इनमें से किसी नियम अधिनियम के अनुपालन में असमर्थ रहती है तथा रैनिंग को प्रभावकारी ढंग से रोकने में असमर्थ रहता है तथा विश्वविद्यालय उस पर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा किसी समुहकार दण्ड लगा सकता है-
 - I. सम्बद्धता/रक्षणनियम का उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना -
 - II. इस प्रकार की संस्था को चल रहे किसी शैक्षिक प्रोग्राम में किसी अथवा विभाग में पाग लेने से रोकना।
 - III. विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए गए अंश अनुदान को वापस लेना यदि कोई हो।
 - IV. विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के सम्बन्ध से दिए गए अंश अनुदान को रोकना
 - V. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड
- 9.3 जहाँ नियुक्ति देने वाले अधिकारी का विचार है कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रैनिंग की शुरुवात देने में झील बसती गई है। रैनिंग की शुरुवात देने में लपित कार्रवाई नहीं की है। रैनिंग की घटना अथवा घटनाई रोकने के लिए नहीं की है। इन विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। रैनिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

- यदि इस प्रकार की झील संस्थाओं के स्तर पर हुई है तो संस्थाओं की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
- 9.4 कोई भी संस्था जो रैनिंग रोकने इन विनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा अथवा दोषियों को परिशुद्ध नहीं करेगा तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसको विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।
 - I. अधिनियम के चान्द 12 बी के अन्तर्गत दिए जानेवाले अनुदान को रोकना।
 - II. दिया जा रहा कोई अनुदान वापस लेना।
 - III. आयोग द्वारा की जानेवाली सामान्य अथवा किसी विशेष अधिसूचना प्रोग्राम हेतु संस्था को अयोग घोषित करना।
 - IV. सामान्य जनता अथर्विधियों को सम्बन्धित पत्र, पत्रिका, आयोग की वेबसाइट अदि द्वारा यह बताना कि संस्था में सम्पूर्ण शैक्षिक स्तर उपलब्ध नहीं है।
 - V. इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करना तथा इसी प्रकार से संस्था को इस तक परिशुद्ध करना जब तक कि यह रैनिंग रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले

आयोग द्वारा किसी संस्था के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसार की गई कार्रवाई में सभी समितिवादी सहयोग देंगी।

(Handwritten Signature)
 (श्री. अ. म. चौहान)
 सचिव 6/2009

संविधानक 4

अध्यायी का राज्य प्रशासन

1. अध्यायी/प्रदाता का संकेतक पत्र में पुत्र/पुत्री की/कीसी/कुली के विहित विवेक को विधि/प्रशासन आचारसंहिता तथा संघीय/राज्य सरकारों को इससे सम्बन्धित निर्देशों को प्रदान से पत्र किया है तथा पूर्विका संकट किया है। सैने विधायिकात्मक अनुदान आयोग परब विधान संसदों में विहित संकेत को सम्बन्धित विधिवत 2009 की एक प्रतिविधि प्रदात कर ली है तथा पत्रों प्रदान से पत्र किया है।
2. सैने अनुदान को विधिवत 3 को पत्र किया है संकट किया है। और में पत्र प्रशासन/उपसत्री हैं कि विहित को कर पत्रे है।
3. सैने प्रदात 7 तथा प्रदात 8.1 विधिवत को संकट किया है। अपर में किसी तरह को विहित को विना किसी को प्रशासन हैं या किसी तरह को विहित में पत्र प्रदात हैं तो प्रशासन में विधान प्रशासन कार्यकारी कर सकता है।
4. सैने विधान पूर्विक पत्र प्रदान करेगा कि
 - अ) में किसी को विहित को कि प्रदात 3 विधिवत में प्रशासिका है प्रदात भाग नहीं लूना/लूनी
 - ब) में किसी को ऐसी प्रतिविधियों में लूना/लूनी को कि विहित के प्रदात 3 विधिवत को प्रशासित करेगी।
4. सैने किसी को प्रदात की विहित में भाग नहीं लूना/लूनी प्रदात किसी भी प्रदात को विहित को प्रदात नहीं करेगा/करेगी
5. सैने प्रदात प्रदात/करती हैं कि अपर में विहित को प्रदात में उपसत्री प्रदात प्रदात/प्रदात नहीं लो पुत्रे विधिवत 8.1 को अनुदान परब दिया जा सकता है। इससे अधिविधा कायुत्री प्रदात को प्रशासित प्रशासनिक प्रतिविधियों में सैने विषय प्रशासन कार्यकारी को जा सकता है।
6. सैने पत्र प्रदात करेगा/करती हैं कि सैने विषय प्रदात को किसी को संकेत द्वारा विहित प्रदात में प्रतिविध नहीं प्रदात प्रदात है और प्रदात प्रदात करेगी तो सैने प्रदात प्रदात दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर _____ दिना _____ महीना _____ वर्ष _____

अध्यायी का हस्ताक्षर

राज्य प्रशासन

सैने प्रदात संसदों को प्रदात प्रदात प्रदात कि राज्य पत्र में ही गई प्रशासिका सत्री है तथा प्रदात में कोई प्रदात प्रदात है। राज्य पत्र में किसी तरह को प्रदात को न ही विधान है न ही प्रदात प्रदात दिया है।

हस्ताक्षर _____ दिना _____ महीना _____ वर्ष _____

अध्यायी में प्रदात प्रतिविधि में राज्य पत्र में विद्वत् रूप प्रदात को प्रदात को प्रदात प्रदात को अधिविधा प्रदात प्रदात प्रदात प्रदात।

राज्य अनुदान

संविधानक -12
भारत-विना/अधिविधाक का राज्य प्रशासन

1. _____ दिना/प्रदात/अधिविधाक _____ में _____ विहित विवेक को विधि तथा प्रशासन आचारसंहिता को निर्देश को संघीय/राज्य सरकारों को इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विधायिकात्मक अनुदान आयोग में पत्र विधान संसदों में विहित संकेत को सम्बन्धित विधिवत-2009 को प्रदान से पत्र किया है तथा पूर्विका संकट किया है।
2. सैने प्रदात को विधिवत 3 को पत्र किया है संकट किया है। और में पत्र प्रशासन/उपसत्री हैं कि विहित को कर पत्रे है।
3. सैने प्रदात 7 तथा प्रदात 8.1 विधिवत को संकट किया है। अपर में किसी तरह को विहित को विना किसी को प्रशासन हैं या किसी तरह को विहित में पत्र प्रदात हैं तो प्रशासन में विधान प्रशासन कार्यकारी कर सकता है।
4. सैने विधान पूर्विक पत्र प्रदान करेगा कि
 - अ) में किसी तरह को विहित को कि प्रदात 3 विधिवत में प्रशासिका है प्रदात भाग नहीं लूना/लूनी
 - ब) में किसी को ऐसी प्रतिविधियों में लूना/लूनी को कि विहित के प्रदात 3 विधिवत को प्रशासित करेगी।
5. सैने पत्र प्रदात करेगा/करती हैं कि अपर में विहित को प्रदात में उपसत्री प्रदात प्रदात/प्रदात नहीं लो पुत्रे विधिवत 8.1 को अनुदान परब दिया जा सकता है। इससे अधिविधा कायुत्री प्रदात को प्रशासित प्रशासनिक प्रतिविधियों में सैने विषय प्रशासन कार्यकारी को जा सकता है।
6. सैने पत्र प्रदात करेगा/करती हैं कि सैने विषय प्रदात को किसी को संकेत द्वारा विहित प्रदात में प्रतिविध नहीं प्रदात प्रदात है और प्रदात प्रदात करेगी तो सैने प्रदात प्रदात दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर _____ दिना _____ महीना _____ वर्ष _____

हस्ताक्षर
भारत, प्रदात प्रदात

राज्य प्रशासन

सैने प्रदात संसदों को प्रदात प्रदात प्रदात कि राज्य पत्र में ही गई प्रशासिका सत्री है तथा प्रदात में कोई प्रदात प्रदात है। राज्य पत्र में किसी तरह को प्रदात को न ही विधान है न ही प्रदात प्रदात दिया है।

हस्ताक्षर _____ दिना _____ महीना _____ वर्ष _____

अध्यायी में प्रदात प्रतिविधि में राज्य पत्र में विद्वत् रूप प्रदात को प्रदात को प्रदात प्रदात को अधिविधा प्रदात प्रदात प्रदात प्रदात।

राज्य अनुदान

EMPLOYERS' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th June 2009

No. 15-13/14/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (24 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Tamil Nadu namely:—

Centre

Utharapalayam Utharapalayam Taluk, Thiru District

- Areas Comprising the Revenue Villages of Thiru District
- Revenue Villages of Utharapalayam (South), Utharapalayam (North), Thiru District, Rayappaspartti, Malligayyeram, Kuthayaperam, Kombai (East), Kombai (West) and Kizhambathur Part of Utharapalayam Taluk of Thiru District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P & D)

The 16th June 2009

No. 15-13/14/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (24 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Tamil Nadu namely:—

Centre

Chudam Utharapalayam Taluk

- Areas Comprising the following Areas Revenue Villages of Thiru District.
- 1. Chudam Municipal Limits of Utharapalayam Taluk.
- 2. Revenue villages of Kuzaykondanall, Nayanathanaspartti (South), Nayanathanaspartti (North) Utharapalayam and C. Pudurpartti of Utharapalayam Taluk of Thiru District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. 15-13/14/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (24 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Tamil Nadu namely:—

Centre

Kamburaj Salalah Devakottai Taluk, Srirangapat District

- Areas Comprising the Revenue Villages of Perumbalasi

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. 15-13/14/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (24 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Orissa namely:—

नोट्स :

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 504 / 24 / आउशि / अका0प्र0 / 2011

भोपाल, दिनांक- 25-6-11

प्रति,

1. समस्त अतिरिक्त संचालक,
क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश
2. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्य प्रदेश
3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु ।

---000---

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु समितियों का गठन किया जाना है । इसके लिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 145/10/आउशि/अप/ दिनांक 2.2.2010 का अवलोकन करें ।

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । इस संबंध में विस्तृत विवरण संलग्न हैं । कृपया निर्देशों का पालन कड़ाई से करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें ।

(डॉ० व्ही०एस० निरंजन)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, म०प्र०

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 887/2009 में पारित निर्णय दिनांक 8.5.2009 के अनुसार राज्य में संचालित उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थाओं में रेगिंग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नांकित समितियां गठित की जाती है-

1. जिला स्तरीय समिति

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | जिला पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3. | शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/डायरेक्टर | सदस्य |
| 4. | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी | सदस्य सचिव |
| 5. | कलेक्टर द्वारा नामकित | (क) मीडिया का प्रतिनिधि
(ख) अशासकीय संस्था जो युवा विकास के लिए कार्यरत हो
(ग) विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य |

समिति के कर्तव्य:-

1. ग्रीष्म कालीन अवकाश के समय शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा रेगिंग की रोकथाम के लिये बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।
2. प्रायवेट छात्रावासों का स्थानीय पुलिस/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय में पंजीयन कराना तथा छात्रावासों के संचालन की अनुमति प्रदान करना।
3. जिला/शहर स्तर पर एन्टी रेगिंग स्कवाड का गठन करना।
4. प्रायवेट क्लॉजिंग केन्द्रों का पंजीयन एवं उनके आसपास स्थित चाय-पानी की दुकानों, स्वल्पमाहासगृहों पर सतत निगरानी रखना।

2. विश्वविद्यालय स्तरीय समिति

प्रत्येक विश्वविद्यालय में रेगिंग पर नियंत्रण संबंधी निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:-

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | छात्र कल्याण अधिष्ठाता | संयोजक |
| 2. | अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद् | सदस्य |
| 3. | प्राध्यापक/रीटुर/सहा प्राध्यापक में से 2 प्रतिनिधि | सदस्य |

समिति के कर्तव्य :-

1. अपने अधिकार क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय करना।
2. संस्था प्रमुखों से रैगिंग संबंधी संस्था स्तर पर गठित समितियों स्कवॉड तथा प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।
3. रैगिंग रोकने के तरीकों पर विचार करने के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन तथा काउन्सलिंग-सत्रों का संस्थाओं में आयोजन।
4. रैगिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश में व्यवस्था करना।

3. शिक्षण संस्था स्तरीय समिति:-

शैक्षणिक संस्थान रैगिंग पर नियंत्रण रखने हेतु दो समितियां गठित करेगा:-

क. रैगिंग निरोधक समिति

अध्यक्ष	प्राचार्य / डायरेक्टर / कार्यालय प्रमुख
सदस्य	जिला प्रशासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
सदस्य	पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत सदस्य
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मीडिया का प्रतिनिधि
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्राध्यापक
सदस्य	अशासकीय संस्थान जो युवा वर्ग के विकास के लिये कार्य कर रहे हों, का प्रतिनिधि
सदस्य	पालकगण का प्रतिनिधि
सदस्य	वरिष्ठ विद्यार्थी (छात्रसंघ अध्यक्ष)
सदस्य	नये प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी

समिति के कर्तव्य:-

1. संस्थान में रैगिंग रोकने संबंधी वातावरण निर्मित करने के लिये नीति निर्धारण करना।
2. छात्र छात्राओं की समस्याओं पर विचारोपरांत निर्णय लेना।
3. रैगिंग निरोधक दस्ते को समय-समय पर मार्ग दर्शन देना।

रैगिंग निरोधक दस्ता

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | संस्थान प्रमुख द्वारा मनोनीत प्राध्यापक/सहा.प्राध्यापक | सदस्य |
| 2. | संस्थान प्रमुख द्वारा अशैक्षणिक अमले से मनोनीत व्यक्ति | सदस्य |
| 3. | जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि | सदस्य |

रैगिंग निरोधक दस्ते के कर्तव्य:-

1. यह स्ववाड रैगिंग की रोकथाम के लिए सदैव सजग रहेगा। सत्र के प्रारंभ से ही हर विद्यार्थियों को संस्था प्रमुख, ऐन्टीरैगिंग समिति, ऐन्टीरैगिंग स्कवाड स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय प्रशासन के दूरभाष नंबर उपलब्ध कराएगा।
2. सभी विद्यार्थियों/पालकों से यह वचन पत्र लेगा कि वे रैगिंग में भाग नहीं लेंगे और यदि वे रैगिंग में भाग लेते हैं तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही उन्हें मान्य होगी।
3. छात्रावास का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेगा और उन स्थानों पर नियंत्रण रखेगा जहां छात्र एकत्रित होते हैं।
4. ऐन्टीरैगिंग स्कवाड, ऐन्टीरैगिंग समिति से समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगा।

जिला प्रशासन को निर्देश

1. सभी निजी छात्रावासों के संचालकों के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन/स्थानीय प्रशासन में पंजीयन करवाना अनिवार्य रहेगा।
2. सभी निजी छात्रावास संचालकों तथा अशासकीय शिक्षण संस्थानों की जिम्मेवारी रहेगी कि वे रैगिंग संबंधी घटना की रिपोर्ट दर्ज करावें।
3. स्थानीय प्रशासन निजी छात्रावास संचालकों तथा शिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेवारी रहेगी कि वह विद्यार्थियों के आवागमन पर नजर रखें ताकि रैगिंग की संभावना न रहे।
हास्टल प्रभारी, विद्यार्थियों के लिये हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हास्टल वार्डन को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जावे।

**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
New Delhi**

NOTIFICATION

Dated 01-07-2009

**Sub:Prevention and prohibition of Ragging in technical Institutions,
Universities including Deemed to be Universities imparting technical
education.**

F.No.37-3/Legal/AICTE/2009 – In exercise of the powers conferred under Section 23 read with Section 10 (b), (g), (p) and (q) of AICTE Act, 1987, the All India Council for Technical Education, hereby makes the following Regulations:-

1. Short title and commencement:-

- (i) These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) Regulations 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of the notification.

2. Objectives:-

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 24295 of 2006 dated 16-05-2007 and in Civil Appeal number 887 of 2009, dated 08-05-2009 to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the All India Council for Technical Education,(AICTE) brings forth these Regulations.

3. Definitions:-

- (a) “**Act**” means the All India Council for Technical Education Act 1987 (52 of 1987);
- (b) “**Technical Institution**” means an institution of Government, Government Aided and Private (self financing) conducting the courses/programmes in the field of technical education, training and research in Engineering, Technology including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programmes and areas as notified by the Council from time to time;
- (c) “**University**” means a University defined under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes an institution deemed to be a University under section 3 of that Act.
- (d) “**Academic year**” means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
- (e) “**Head of the institution**” means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
- (f) “**Fresher**” means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
- (g) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1887, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1887, as the case may be. And
- (h) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act;

4 **What constitutes Ragging:** - Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, posts, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

5. Measures for prevention of ragging:-

It shall be mandatory for every technical Institution, University, deemed to be University imparting technical education to take following measures for prevention of ragging at such institutions.

1. The advertisement issued for admission by a technical institution, University including Deemed to be University concerned and/or the admission authority/ affiliating University/State Govt./UT/Central Govt. as the case may be, shall clearly mention that ragging is totally banned and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished.
2. The 'Prospectus' and other admission related documents shall contain directions of the Supreme Court Affiliating University/admission Authority/State Govt/Central Govt. shall make it mandatory for the institutions under their jurisdiction to compulsorily incorporate such information in their 'Prospectus'. These Regulations shall be printed in the brochure of admission/instruction booklet for candidates.
3. The application form for admission/enrolment shall have a printed affidavit, preferably both in English and Hindi and/or in one of the regional languages. The affidavit should be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and that he/she, if found guilty of the offence of ragging and/or abetting ragging, is liable to be punished appropriately.
4. The application form shall also contain a printed affidavit, preferably both in English and Hindi and/or in one of the regional languages and the affidavit should be signed by the parent/guardian of the applicant to the effect that he/she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishment meted out to his/her ward in case the latter is found guilty of ragging and/or abetting ragging.
5. The application for admission shall be accompanied by a document along with the School Leaving Certificate/Character Certificate which shall include a report on the behavioral patten of the applicant, so that the institution can thereafter keep intense watch upon the student who has a negative entry in this regard.
6. A student seeking admission to the hostel shall have to submit another affidavit along with his/her application for hostel accommodation that he/she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishments meted out if he/she is found guilty of ragging and/or abetting ragging.
7. Every technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall maintain a proper record of the affidavits obtained to ensure its safe up keep thereof,including digital copies of the affidavits and such digital copy should be made available to the AICTE or to an Agency identified/nominated by AICTE.

8. The AICTE or an Agency identified/nominated for the purpose and affiliating Universities and Directorate of Technical Education of the concerned State Govt./UT shall maintain an appropriate data base of the affidavits in the digital form obtained from every student at the time of admission to the technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.
9. Each batch of freshers should be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of staff. Such staff member should interact individually with each member of the group on daily basis to ascertain the problems/difficulties, if any faced by the freshers in the Institution and extend necessary help.
10. Incase of freshers admitted to a Hostel it shall be the responsibility of the teacher incharge of the group to co-ordinate with the warden of the Hostel and to make surprise visits to the rooms in the hostel where the members of the group are lodged. Freshers should be lodged in a separate hostel block wherever possible and where such facilities are not available, the college/institution shall ensure that seniors' access to freshers' accommodation is strictly monitored by wardens, Security Guards and Staff.
11. Every institution should engage or seek the assistance of professional counselors at the time of admissions to counsel 'freshers' in order to prepare them for the life ahead, particularly for adjusting to the life in hostels. At the commencement of the academic session the Head of the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like Wardens, representatives of students, parents/guardians, faculty, district administration including police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging and steps to be taken to identify the offenders and punish them suitably.
12. Every fresher admitted to the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall be given a printed information booklet detailing when and whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes (including Wardens, Head of the institution, members of the anti-ragging committee, relevant district and police authorities), addresses and telephone numbers of such persons/authorities, etc.
13. The technical institutions, University including Deemed to be University imparting technical education through the information booklet mentioned

above shall explain to the new entrants the arrangements for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students.

14. The information booklet mentioned above shall also tell the freshers about their rights as bona fide students and clearly instructing them that they should desist from doing anything against their will even if ordered by the seniors, and that they have nothing to fear as the institution cares for them and shall not tolerate any atrocities against them.
15. The information booklet mentioned above shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of juniors with the academic environment of the institution.
16. To make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, big posters (preferably with different colors for the provisions of law, punishments, etc.) shall be prominently displayed on all Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at vulnerable places. Some of such posters shall be of permanent nature in certain vulnerable places.
17. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institutions 's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favor.
18. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall identify, properly illuminate and man all vulnerable locations.
19. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall tighten security in its premises, especially at the vulnerable places. If necessary, intense policing shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session.
20. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch wide publicity campaign against ragging through posters, information booklets, seminars, street plays, etc.

21. The faculties/departments/units of the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall have induction arrangements (including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students) in place well in advance of the beginning of the academic year with a clear sense of the main aims and objectives of the induction process.
22. Mobile Phones and other communication devices may be permitted in residential areas including hostels to provide access to the students particularly freshers, to reach out for help from teachers, parents and Institution authorities.

6. Monitoring mechanism in technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education:-

- a) **Anti-ragging Committee:** Every institution University including Deemed to be University imparting technical education shall constitute a Committee to be known as the Anti-ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the Institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of level as well as gender.
- b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.
- c) **Anti-Ragging Squad:** Every institution University including Deemed to be University imparting technical education shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.
- d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents and having the potential for ragging and shall be empowered to inspect such places.

- e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incidents of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action. Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incidents of ragging, and considerations such other relevant information as may be required.
- f) **Mentoring Cell:** Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.
- g) **Monitoring Cell on Ragging:-** The State Govt./UT and the affiliating University shall set up a Monitoring Cell on Ragging to coordinate with the institutions to monitor the activities of the Anti-Ragging Committees, Squads, and Mentoring Cells, regarding compliance with the instructions on conducting orientation programmes, counseling sessions, etc., and regarding the incidents of ragging, the problem faced by wardens and other officials, etc. This Cell shall also review the efforts made by such institutions to publicize anti-ragging measures, cross-verify the receipt of affidavits from candidates/students and their parents/guardians every year, and shall be the prime mover for initiating action by the University authorities to suitably amend the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti ragging measures at the level of the institution.
- h) The Monitoring Cell shall coordinate with the the institutions, universities including deemed to be universities imparting technical education to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti-Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the Anti-Ragging Committees etc.

- i) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violation; and shall function as the prime mover for initiating action for amending the Statues or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

7. Action to be taken against the Principal or the Head of the Institution/Faculty Members/Non-Teaching staff of technical institution, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.

1. The Head of the Institution along with other administrative authorities should take adequate measures for prevention of ragging. Any lapse on the part of these authorities shall make them liable for criminal action for negligence of duty. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education should incorporate a clause in their letter of appointment that the Director, Faculty and other administrative Heads should ensure all possible steps for prevention of ragging in the premises of the educational institutions, and that they are liable for action, in case of non-compliance.
2. The Principal or Head of the Institution/Department shall obtain an affidavit from every employee of the Institution including teaching/non-teaching staff, contract labor employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the building, lawns etc. that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice. A provision shall be made in the service rules for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report ragging which will form part of their service records.
3. Departmental enquiries shall be initiated, in addition to penal consequences against such heads of the Institution/Faculty members/non-teaching staff who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging and would not take timely steps in the prevention of ragging and punishing those who rag.
4. The Principal or the Head of the Institution/Faculty Members/Non-Teaching staff, if found negligent in taking necessary measures for ensuring safety of students and preventing the ragging would be declared unfit for holding any post in any technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education.

8. Actions to be taken against students for indulging and abetting ragging in technical institutions Universities including Deemed to be University imparting technical education:-

1. The punishment to be meted out to the persons indulged in ragging has to be exemplary and justifiably harsh to act as a deterrent against recurrence of such incidents.
2. Every single incident of ragging a First Information Report (FIR) must be filed without exception by the institutional authorities with the local police authorities.
3. The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, with regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging.
4. a) Depending upon the nature and gravity of the offence as established the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any combination of the following:-
 - (i) Cancellation of admission
 - (ii) Suspension from attending classes
 - (iii) Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits
 - (iv) Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process
 - (v) Withholding results
 - (vi) Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
 - (vii) Suspension/expulsion from the hostel
 - (viii) Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters
 - (ix) Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution.
 - (x) Collective punishment: when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggars.
- b) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,

- i. In case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of the University, to the Vice-Chancellor of the University;
 - ii. In case of an order of a University, to its Chancellor.
 - iii. In case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.
5. The institutional authorities shall intimate the incidents of ragging occurred in their premises along with actions taken to the Council from time to time.

9 Action to be taken against the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education which fail to take measures for prevention of ragging:-

1. Role of the concerned technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education shall be open to scrutiny for the purpose of finding out whether they have taken effective steps for preventing ragging and action taken against provision indulged and/or abetting ragging. The Council shall constitute Committees to inspect technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education to verify the status of anti ragging measures and to investigate specific instances of ragging and take appropriate action.
2. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education should submit an affidavit along with its compliance report submitted to AICTE annually with details of measures taken for prevention of ragging in technical institutions. The Compliance Report should also contain the details of the instances of ragging and action taken against students, and others for indulging and abetting ragging.
3. All Letters of Approval issued by AICTE such as extension of approval letters, letters issued for additional courses/increase in intake and letters issued for new technical institutions, release of grants, letters of approval issued to integrated campus, second shift etc. shall contain a specific clause of prevention of ragging.
4. The AICTE shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one of more of the following measures, namely;

- i. No admission/Withdrawal of approval granted under section 10(k) of AICTE Act.
 - ii. Withholding any grant allocated.
 - iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the AICTE.
 - iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the AICTE, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
 - v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations.
5. As regards the Universities including Deemed to be Universities imparting technical education the actions proposed to be taken such as stopping release of grants, withdrawal of approval/recognition will be sent to University Grants Commission (UGC), Ministry of Human Resource Development (MHRD), Govt. of India and the concerned State Govt./UT. The UGC, MHRD Govt. of India, and the State Govt./UT concerned shall initiate immediate action on the recommendations of the Council.

10. Duties and Responsibilities of the All India Council for technical Education:-

- a) All India Council for technical Education, or the Central Government or the agency authorized for the purpose shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.
- b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.
- c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.

- d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti-ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.
- f) The All India Council for technical Education, the Central Government or the agency authorized for the purpose shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.
- g) The All India Council for technical Education, the Central Government or the agency authorized for the purpose shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non-compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorized by the All India Council for technical Education/Central Government.

11. The All India Council for technical Education shall take the following regulatory steps, namely;

- a) The All India Council for technical Education shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.
- b) The All India Council for technical Education shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.
- c) The All India Council for technical Education shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the All India Council for technical Education, that the institution has complied with the anti-ragging measures.

- d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by National Board of Accreditation or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.
- e) The All India Council for technical Education shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the All India Council for technical Education/Central Government and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.
- f) The All India Council for technical Education shall institute an Anti-Ragging Cell within the AICTE as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cells and University Level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the All India Council for technical Education/central Government.

(Member Secretary)

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, _____ (full name of student with admission/registration/enrolment number)
s/o - d/o Mr./Mrs./Ms _____

- 1) having been admitted to _____ (name of the institution)
have received a copy of the AICTE regulations on Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the “Regulations”) carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulation and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year _____

Signature of Deponent

Name

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ (place) _____ on this the _____ (day) of _____ (month) _____ (year)

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _____ (day) of _____ month, _____ (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, _____ Mr./Mrs./Ms.
(full name of parent/guardian) father / mother/guardian of _____
(full name of student with admission /registration/enrolment number),

- 1) having been admitted to _____ (name of the Institution), have received a copy of the AICTE regulations on Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the “Regulations”) carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

- 6) I hereby declare that my word has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission my word is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year _____

Signature of Deponent

Name:

Address:

Telephone/Mobile No:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ (place) on this the _____ (day) of _____ (month) and _____ (year)

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _____ (day) of _____ month, _____ (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER